FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

श्रीराम बनाम सुभाष चन्द वगै.

2025/1252

किस्म मुकदमा :–प्रार्थना पत्र 251(क) मु0नं0 629 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26-09-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे तथा नायब तहसीलदार, नीमकाथाना को प्रकरण में तथ्यात्मक/मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 7-10-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
07/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 02 ने उपस्थित होकर रास्ते के संबंध में सहमती शपथ पत्र पेश किया। रिपोर्ट नायब तहसीलदार नीमकाथाना प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार रास्ता काटे जाने पर पक्षकारान सहमत है तथा रास्ते के बदले किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251क न्याय-हित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय [illegible] लिखा जाकर शामिल मिसल किया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] दाखिल हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस)**
प्रा.पत्र संख्याः— **629 / 2025**
जी.सी.एम.एस. नं.:— **2025 / 1252**

1. श्रीराम खोस्या पुत्र श्री सोहनलाल खौस्या जाति अहीर निवासी लाखा की नांगल, हाल निवासी डेरोली तहसील नारनौल, हरियाणा

प्रार्थी

बनाम

1. सुभाष चन्द बसवाला पुत्र श्री लीलाराम जाति खटिक निवासी करणीकोट तहसील मुडावर जिला अलवर
2. श्री ओम मिनरल्स इण्डस्ट्रीज, नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर जरिए अधिकृत पार्टनर सुधीर कुमार पुत्र श्री दीपचन्द जाति अहीर निवासी कावी की ढाणी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, देवेन्द यादव पुत्र श्री देवदत्त यादव जाति अहीर निवासी सेका, मण्डाना कलां तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नीमकाथाना

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः— **रामगोपाल शर्मा अधिवक्ता**

निर्णय

दिनांकः— 07/10/2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम लाखा की नांगल तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 1.05 हैक्ट0 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी खसरा नम्बर तक पहुंचने के लिये प्रार्थी के पास कोई रिकार्डेड रास्ता नही होने से खसरा नम्बर 954/947 में से होकर आते जाते रहे है तथा काश्त करने हेतु साधनो का आवागमन रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से काश्त करने के लिये खेत मे आना–जाना दुभर हो जाता है। बारिश के मौसम में प्रार्थी को खेत मे आने–जाने मे काफी परेशानी होती है तथा खातेदारो द्वारा आने–जाने के रास्ते मे रूकावट डाली जाती है। रास्ता दर्ज रिकार्ड हो जाने पर इसका लाभ आसपास के अन्य खातेदारों को भी प्राप्त होगा। खसरा नम्बर 954/947 मे से मूल खातेदारी द्वारा अपनी भूमि का विक्रय अप्रार्थीगण संख्या 02 को कर दिया गया है।

अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम लाखा की नांगल के खसरा नम्बर 517 मे आने–जाने हेतु राजस्व ग्राम लाखा की नांगल के भूमि खसरा नम्बर 954/947 में से 30 फीट रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सनुवाई अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 ने उपस्थित होकर रास्ते के संबंध में अपना सहमती शपथ पत्र पेश किया तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते के बदले किसी प्रकार प्रतिफल भी नही चाहते है। अप्रार्थी तहसीलदार, नीमकाथाना उपस्थित। रास्ते बाबत् नायब तहसीलदार, नीमकाथाना से रिपोर्ट मंगवाई गई, बिन्दूवार रिपोर्ट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल की गई। मुताबिक रिपोट के विवादित आराजी पर जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पि रास्ता नही है। रास्ता अत्यांतक आवश्यक है। वांछित रास्ता न्यूनतम दूरी का है, जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि नायब तहसीलदार, नीमकाथाना से रास्ते बाबत् रिपोर्ट नक्शा सहित प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जावें।

बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं [illegible] रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी की [illegible] भूमि खसरा नम्बर 517 में जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध होना नही पाया जाता है। मौके के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी [illegible] नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

अनुसार प्रस्तावित रास्ता आत्यांतिक आवश्यक है। प्रस्तावित रास्ते की दूरी न्यूनतम है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा नम्बर 954/947 रकबा 0.44 हैक्ट. में से 19 मीटर लम्बाई एवं 09 मीटर चौड़ाई कुल भूमि 171 वर्गमीटर में रास्ता जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है, बताया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तथा रिपोर्ट नायब तहसीलदार नीमकाथाना के एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता अत्यांतिक है। न्यूनतम दूरी का है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रभावित अप्रार्थीगण को भी उक्त प्रस्तावित रास्ते के संबंध में कोई आपत्ति नही है एवं रास्ते के बदले किसी प्रकार का प्रतिफल भी नही चाहते है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 954/947 रकबा 0.44 हैक्ट. में से 19 मीटर लम्बाई एवं 09 मीटर चौड़ाई कुल भूमि 171 वर्गमीटर में रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट दिनांक 03.10.2025 व मुताबिक नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जावे। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा। आदेश की पालना में निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न कर तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested